

11-2-19

तहसीलदार कोटा कायदा नं 43 कु-11698  
 दि. 13-6-78 के द्वारा ग्राम आमाजपुरा एवं  
 बीबीका बाट की जमाखण्डों में खालाक  
 12 में दिमा उल्हात किया जाने का  
 पेश किया जाने यह दर्ज रजिस्ट्रार किया  
 जाकर 9-5-78 का तहसीलदार कोटा  
 नं 13 कु-11698 के द्वारा ग्राम आमाजपुरा एवं बीबीका बाट की  
 जमाखण्डों का 2070-73 खालाक 12 में  
 रजिस्ट्री परिस नदमा, कोटा-ताप, पीलापान  
 कोलाशचन्द्र पि. नदमा दि. 1/11/78, महादेव  
 धात्र, सोरमा पि. पुल्मा दि. 3/11/78 दर्ज  
 के तालाक दर्ज है जो तहसीलदार कोटा-  
 कायदा नं 43 कु-11698 के तहसीलदार कोटा  
 जमाखण्ड कोलाप 2038-41, खाला 17 एवं  
 मिलाप खंडाका 2051-70 के तहसीलदार  
 दिमा उल्हात किया जाता अचिल समझते है  
 केतः 9-5-78 स्वीकार किया जाकर ग्राम  
 आमाजपुरा एवं बीबीका बाट की जमाखण्डों  
 2070-73 में खालाक 12 में का. 4, 7, किया  
 2 रकबा 1.96 ई. में रजिस्ट्री परिस नदमा, कोटा-ताप  
 पीलापान, कोलाशचन्द्र पि. नदमा दि. 1/11/78  
 खंडाक पर दि. 1/6/78 व सोरमा, महादेव, धात्र  
 पि. पुल्मा दि. 3/11/78 के तहसीलदार कोटा  
 दिमा उल्हात किया जाता है व हाल  
 कोलाप राजाच रिकार्ड में उल्हात किया  
 जाके/मिलाप की तहसीलदार कोटा  
 मिलाप जाके/पताका की तहसीलदार कोटा  
 दस्तावेज है

उपखण्ड अधिकारी  
 तहसीलदार कोटा (जयपुर)  
 11-2-19